

25/01/2024 आज मह पत्रावली प्रशासन जांचों के संग अभियान-2024 के तहत शाम पत्रावली नौरंगपुरा में काफ़ी कैंप में पेश हुई।

पत्रावली पर उपलब्ध पत्रावली हल्का नौरंगपुरा व तहसीलदार खैरुद्दीन की रिपोर्ट का कवचोत्तर किया गया। तहसीलदार खैरुद्दीन आप मार्गदर्शन चाहा गया है कि निर्णय के अनुसार श्रुति खसरा नम्बर 311 का रकबा 0.93 हे० क० स्थान पर 1.25 हे० किया जाना है, जिससे खसरा नम्बर 311 के रकबे में 0.32 हे० की वृद्धि होगी, किन्तु उक्त कबा हुआ रकबा जिस खसरे में से कृत् किया जाना है, उसका उल्लेख निर्णय में नहीं किया गया है। मेरे अर्थ निर्णय दिनांक 07/06/18 का कवचोत्तर किया गया। निर्णय की पाठना में खसरा नम्बर 311 का रकबा 0.93 हे० क०



तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

उत्त स्थान पर 1.25 हे० ठिपा जाने से सम्बन्ध
ग्राह डा. हुक्म रुखा घर जायेगा, जो कि
संभव नहीं है। अतः तकनीकी रूप से
निर्दिष्ट की जायेगी कि जायेगा संभव
नहीं होने से पत्रावली कार्यवाही इसी स्तर
पर प्रेष की जाती है। पत्रावली केसब कुशा व
द्वय नम्बर से कर छोडा दाखिल दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी

शेखरी जि. सुन्दरपुर (यज.)